:: महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांकःसामान्य/2011/41722-830 दिनांक 25-1-2011

1. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभाराधिकारी,
   केन्द्रीय/जिला एवं उप कारागृह, राजस्थान।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
4. प्रभारी, समस्त बंदी खुला शिविर, राजस्थान।
5. प्रभारी, युवा बाल बंदी सुधारगृह, अजमेर।

:: **परिपत्र** ::

विषयः– अनुपस्थित कर्मियों की आमद बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सामान्य/4/90/29021–120 दिनांक 18.8.99 के अधिक्रमण में निम्न संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह एवं उप कारागृहों में कार्यरत प्रहरी से कारापाल स्तर तक के अधिकारियों/कर्मियों को अनुपस्थिति से ड्यूटी हेतु आमद का आदेश सम्बन्धित मण्डलाधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा।

(2) उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को अनुपस्थिति से ड्यूटी हेतु आमद का आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदान किया जावेगा।

(3) 30 दिवस से अधिक अवधि की अनुपस्थिति वाले प्रहरी तथा मुख्य प्रहरी एवं 15 दिवस से अधिक अवधि की अनुपस्थिति वाले सहायक कारापाल से कारापाल स्तर के अधिकारियों के अनुपस्थिति प्रकरण निर्णयार्थ महानिदेशालय को प्रेषित किये जायेगें।

(4) उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के अनुपस्थिति प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर की जायेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि–
1. महानिरीक्षक कारागार, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर।
4. समस्त संस्थापन अनुभाग, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर